न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 56 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 201)	28.10.2024	22.04.2025

1. राकेश आ. प्रकाश जाति ब्राहमण, नि. बालाजी का चौक, डाबी
2. रीना पुत्री प्रकाश पत्नी मनीष जाति ब्राहमण, नि. लाम्बाखोह
3. सुमित्रा पुत्री रतनलाल पत्नी शंकरलाल व्यास जाति ब्राहमण,
   नि. मस्जिद के पास, सदर बाजार बेंगू, तह.बेगू जिला चित्तोडगढ
4. सुशीला पुत्री रतनलाल पत्नी शशिकान्त जाति ब्राहमण,
   नि. बालाजी का चौक, डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी
5. मन्जू पुत्री रतनलाल पत्नी जगदीश चतुर्वेदी जाति ब्राहमण,
   नि. ग्राम पाचून्दा पो.आवलहैडा, तहसील बेगू जिला चित्तोडगढ

— अपीलांटस

बनाम

1. प्रेमबाई पत्नी स्व. कैलाश जाति ब्राहमण
   नि. चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. घनश्याम पुत्र स्व. कैलाश जाति ब्राहमण
   नि. चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. कैलाश जाति ब्राहमण
   नि. चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी
4. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. कैलाश जाति ब्राहमण
   नि. चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी
5. उर्मिला पुत्री स्व. कैलाश जाति ब्राहमण
   नि. चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी
6. तारा पुत्री स्व. कैलाश जाति ब्राहमण
   नि. चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी
7. सुनिता पुत्री स्व. कैलाश जाति ब्राहमण
   नि. चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी
8. शिवशंकर पुत्र स्व. रतनलाल जाति ब्राहमण
   नि. पुराना बाजार, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी
9. नायब तहसीलदार, डाबी
10. तहसीलदार, तालेडा
11. उप पंजीयक, तालेडा

— रेस्पोडेन्टस

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलांटस की ओर से श्री नवेद केसर लखपति, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 लगायत 7 की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 8 की ओर से श्री कमलेश त्रिपाठी, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 9, 10, 11 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार, तालेडा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 1359 दिनांक 29.05.2018 ग्राम डाबी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण गैरखातेदार रतनलाल आ. मांगीलाल ब्राहमण के देहान्त के बाद उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 56/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2024/201 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 965/1315 रकबा 5 बीघा, ख.सं. 1184/1363 रकबा 12 बिस्वा, ख.सं. 1184/1364 रकबा 03 बिस्वा, ख.सं. 1184/1405 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा ग्राम डाबी में स्थित है, जो अपीलांटस के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त कृषि भूमि पर अपीलांटस ही मालिकाना हक के तौर पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी के मूल गैरखातेदार रतनलाल आ. मांगीलाल जाति ब्राहमण थे, रतनलाल के तीन पुत्र एवं तीन पुत्रिया अपीलांट 3, 4, 5 हुई थी। इनमें से एक पुत्र प्रकाश एवं उसकी पत्नी कृष्णा का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिस पुत्र राकेश एवं पुत्री रीना है जो अपीलांट सं.1, 2, है। मूल पुरूष रतनलाल जी के एक अन्य जीवित पुत्र शिवशंकर है जिसे रेस्पो.सं. 8 बनाया गया है परन्तु उसके खिलाफ इस अपील में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। स्व.रतनलाल के एक अन्य पुत्र कैलाश पैदा हुआ था जो रतनलाल के जीवनकाल में ही घासीलाल आ. मोडू जाति ब्राहमण निवासी डाबी के गोद चले गये थे। जिसे नाबालिग अवस्था में कानूनन गोद लिये जाने की स्थिति में घासीलाल ने गोद लेकर अपना गोद पुत्र घोषित किया था तथा एक पुत्र को जो हक हकूक प्राप्त होते है वह अपनी चल अचल सम्पत्ति, जमीन जायदाद के समस्त हक हकूक घासीलाल ने अपने पुत्र के तौर पर घोषित करके कैलाश को अदाकर दिये थे।

जिला कलक्टर, बून्दी

घासीलाल ने ही कैलाश की परवरिश की थी उसकी शादी की थी। कैलाश के समस्त दस्तावेजों उसके पिता का नाम घासीलाल दर्ज है। इस प्रकार कैलाश के घासीलाल के गोद जाने के बाद सामाजिक तौर पर एवं कानूनन वह सभी अधिकार जो उसे रतनलाल के पुत्र होने के नाते प्राप्त थे वह रतनलाल की जायदाद में से स्वतः समाप्त हो चुके थे। उक्त कैलाश की मृत्यु हो चुकी है तथा रेस्पो.सं.1 लगायत 7 उसके विधिक वारिस है। घासीलाल से मिली कृषि भूमि पर पुत्र कैलाश एवं स्वर्गीय कैलाश की विरासत में प्राप्त कृषि भूमि पर उसके वारिसान रेस्पो.सं.1 लगायत 7 खातेदार दर्ज रेकार्ड है। ग्राम डाबी की भूमि खसरा सं. 1003, 1006 एवं 1007 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर पर रेस्पो. सं.1 लगायत 7 खातेदार दर्ज होने से यह साबित होता है कि उक्त कृषि भूमि रेस्पो.सं.1 लगायत 7 को उनके पिता कैलाश पुत्र घासीलाल से प्राप्त हुई है। कैलाश के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पिता का नाम घासीलाल दर्ज है किन्तु एक दूसरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी पिता का नाम रतनलाल अंकित करवाकर बनवा लिया है।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान आगे कथन किये कि अपीलांटस गरीब परिवार से है तथा ज्यादा समझदार नहीं है और उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं हुआ कि रेस्पो.सं.1 लगायत 7 द्वारा गुपचुप व गैर कानूनी तरीके से राजस्व कर्मचारियों से तथ्यों को छूपाकर इन्तकाल संख्या 1359 दिनांक 29.05.2018 में अपना नाम हक हकूक नहीं होने के बावजूद भी दर्ज करवा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर खातेदार रतनलाल के विधिक वारिसान की जांच किए बिना, उनको सुनवाई का कोई अवसर या कोई नोटिस दिये बिना उक्त इन्तकाल आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त इन्तकाल आदेश की प्रति देखने मात्र से ही इन्तकाल खोलने में हुई त्रुटि का पता चलता है कि कैलाश का नाम कॉलम से बाहर प्रविष्ठि भरने के बाद वारिसान के तौर पर अलग से लिखा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त इन्तकाल आदेश गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पो.सं.1 लगायत 7 ने सामूहिक तौर पर अपीलांटस को घर पर आकर दिनांक 15.10.2024 को धमकी दी कि अपील विषयक कृषि भूमि में अपना दर्ज करवा लिया है, जिसे बेचकर आपको जमीन से बेदखल कर देगे। इसके बाद दिनांक 18.10.24 को जमाबंदी व इन्तकाल आदेश की नकल प्राप्त की, नकल मिलने के बाद अपीलांटस को जानकारी हुई। आदेश दिनांक 29.05.2018 से जानकारी होने तक का समय मुजरा दिया जाकर अपील अवधि मध्य माना जाना आवश्यक है। यदि देरी मानी जावे तो उसे क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपील विषयक नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं रेस्पो.सं.1 लगायत 7 का नाम जमाबंदी में से हटाये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 7 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि पक्षकारान अपीलांटस एवं रेस्पो.सं.1 लगायत 7 दोनों आपस में सगे भाई प्रकाश एवं कैलाश के पुत्र है। जिनको उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, क्योंकि अपीलांट राकेश व रीना के पिता प्रकाश द्वारा पेश किये गये आवेदन पत्र के आधार पर ही उक्त फौती नामान्तरकरण संख्या 1359 दिनांक 29.05.2018 को स्वीकृत एवं तस्दीक किया गया था। जिसे प्रकाश ने 5 साल तक जिन्दा रहने के दौरान कभी चैलेन्ज नहीं किया। प्रकाश की मृत्यु के बाद खोले गये फोती इन्तकाल में भी अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरकरण पूर्व में ही तस्दीक हो जाने की जानकारी हो चुकी थी। इसके बावजूद 6 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के बाद मन में बदयांति आ जाने के कारण उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील पेश की गई, जो अवधि बाहर है। विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है जबकि मियाद अधिनियम में अपीलांट को विलम्ब का स्पष्ट रूप से दिन–प्रतिदिन का कारण बताना होता है। विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया जाकर झूठें तथ्यों के आधार पर पेश की गई अवधि बाधित यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक रेस्पो. सं.1 लगायत 7 ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम डाबी की उक्त गैर खातेदारी की भूमि पूर्व में रेस्पो.सं.1 के ससुर एवं रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 के दादाजी रतनलाल जी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। रतनलाल जी के तीन पुत्र प्रकाश, शिवशंकर, कैलाश एवं तीन पुत्रियां सुमित्रा, सुशीला, मंजू तथा बेवा चांद बाई वैध वारिसान थे। रतनलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि का मौखिक बंटवारा कर दिये जाने से खसरा सं.965/1315 रकबा 5 बीघा भूमि पर कैलाश पुत्र रतनलाल काबिज काश्त रहे तथा कैलाश के देहान्त के बाद उक्त भूमि पर उनके विधिक वारिसान रेस्पो.सं.1 लगायत 7 काबिज काश्त चले आ रहे है। कैलाश गैर खातेदार रतनलाल जी के बडे पुत्र है जो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के गोद नहीं गये, न ही कोई गोदनामा निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया गया। कैलाशचंद का जन्म से ही उक्त पैतृक भूमि में अधिकार उत्पन्न हो गया था। सम्पूर्ण जीवनकाल में कैलाशचंद रतनलाल के पुत्र के रूप ही रहे, पिता रतनलाल की मृत्यु के बाद 12 दिन के कियाकर्मो को भी बतौर पुत्र कैलाशचंद द्वारा सम्पन्न करवाया गया। अपीलांटस द्वारा अपील में कैलाशचंद के रतनलाल का पुत्र होना तो स्वीकार किया है, किन्तु घांसीलाल द्वारा कैलाशचंद को गोद लिया जाना अंकित किया है, जो सही नहीं है। घासीलाल जी द्वारा एक रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 14.07.1972 को कैलाशचंद पुत्र रतनलाल के हक में निष्पादित करवाया जाकर ग्राम डाबी की 15 बीघा जमीन एवं मकान मय दुकानें, दो कच्चे घर आदि बक्शीश किये थे। घासीलाल जी द्वारा न तो कभी कोई गोदनामा निष्पादित किया गया और

जिला कलेक्टर बून्दी

न ही उक्त बक्शीशनामा में गोद लिये जाने का तथ्य अंकित किया है। इस प्रकार कैलाशचंद के घासीलाल जी के गोद जाने का अपीलांटस का कथन सरासर झूंठा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर खातेदार रतनलाल के विधिक वारिसान की जांच की जाकर विरासत का नामान्तरकरण उनके विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है, जो विधिसम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1359 दिनांक 29.05.2018 की नकल दिनांक 18.10.2024 को प्राप्त होने पर जानकारी होना अंकित करते हुये अपील दिनांक 23.10.2024 को पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

तत्पश्चात अपीलांटस की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। बाद सुनवाई उभयपक्ष अपीलांटस की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकार किया जाकर अपीलांटस द्वारा फर्द के मुताबिक पेश किये गये दस्तावेजात को अपील में शामिल किये जाने का आदेश प्रदान किया गया।

अन्त में अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम डाबी में स्थित आराजी खसरा सं. 965/1315 रकबा 5 बीघा, ख.सं. 1184/1363 रकबा 12 बिस्वा, ख.सं. 1184/1364 रकबा 03 बिस्वा, ख.सं. 1184/1365 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा, ख.सं. 1184/1405 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा भूमि रतनलाल आ. मांगीलाल कौम ब्राहमण की गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। गैर खातेदार रतनलाल की दिनांक 07.01.2018 को मृत्यु हो जाने से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1359 दिनांक 29.05.2018 को उसके सभी विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि कैलाश घासीलाल के गोद चला गया था, इसलिए रतनलाल का विधिक वारिस नहीं होने से रतनलाल के फौती नामान्तरकरण में कैलाश का नाम दर्ज किया जाना विधिविरूद्ध है, अतः उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जावे।

जिला कलेक्टर; बून्दी

जबकि इस संबंध में रेस्पो.सं.1 लगायत 7 का तर्क रहा कि घासीलाल ने रजिस्टर्ड बक्शीशनामा कैलाशचंद पुत्र रतनलाल के पक्ष में निष्पादित करवाया है, घासीलाल ने कैलाशचंद को गोद नही लिया था, और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य है। पिता रतनलाल के देहान्त के बाद विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक विरासत का नामान्तरकरण विधिसम्मत मानते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण गैर खातेदार रतनलाल की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है। विरासत के नामान्तरकरणों में यह देखना होता है कि जिन व्यक्तियों के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया गया है वो मृतक खातेदार के विधिक वारिस है या नहीं? हस्तगत प्रकरण में कैलाशचंद के मृतक गैर खातेदार रतनलाल का जायन्दा पुत्र होना अपीलांटस द्वारा अपनी अपील के पेरा–4 में स्वयं स्वीकार किया है। ऐसे में प्रकरण में कैलाश गैर खातेदार रतनलाल का नैसर्गिक पुत्र होना निर्विवाद है। जहां तक घासीलाल द्वारा कैलाश को गोद लिये जाने का प्रश्न है तो अपीलांटस की ओर से इस संबंध में रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड गोदनामा पेश नहीं किया गया। जिस रजिस्टर्ड बक्शीशनामा के आधार पर कैलाश पुत्र रतनलाल को घासीलाल द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि बक्शीश की गई है उक्त बक्शीशनामा में कहीं भी कैलाश को गोद लिये जाने का उल्लेख नहीं है और न ही उसे गोदपुत्र सम्बोधित किया गया। ऐसी स्थिति में घासीलाल द्वारा कैलाश को गोद लिया जाना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। वैसे भी गोद का बिन्दु नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है।

अपीलांटस की यह भी आपत्ति रही है कि कैलाश के अनेक दस्तावेजों में पिता का नाम घासीलाल अंकित है। इस संबंध में उल्लेख करना समीचीन है कि बिना किसी वैध दस्तावेज के कैलाश के पिता का नाम घासीलाल अंकित कर बनाये गये दस्तावेजात अवैध हो सकते है, किन्तु विधिक गोदनामा के अभाव में ऐसे दस्तावेजात के आधार पर कैलाश को घासीलाल का गोदपुत्र होना प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

हस्तगत अपील में अपीलांटस द्वारा बक्शीशनामा के आधार पर अपील विषयक आराजी पर कैलाश का अधिकार नहीं मानते हुये कैलाश के पिता रतनलाल के देहान्त के बाद तस्दीक किये गये फोती नामान्तरकरण को चुनौती दी गई, किन्तु किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई बक्शीशनामा निष्पादित होने से उसके पैतृक सम्पत्ति में जन्म से निहित उत्तराधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन विरासत का नामान्तरकरण गैर खातेदार रतनलाल के विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया, जिसे बक्शीशनामा के आधार पर चुनौती दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक गैर खातेदार रतनलाल के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तस्दीक किये गये अपीलाधीन विरासत के नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी